HIGH COURT OF MADHYA PRADESH JABALPUR

Endt. No. ...B.|.6102............ ../ **Jabalpur, dt. .20../12/2016**
IV-8-7/37

The Copy of Notification dated 19-12-2016 received from Additional Director, Directorate of Treasuries & Accounts, M.P. Bhopal is forwarded to :-

- The Principal Registrar, Bench at Indore/Gwalior, High Court of Madhya Pradesh;
- The Registrar (J) / (D.E.) / (A) / (Vig.) / (VI.) / (A.W.)(E) /OSD(DE)/I.T. High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
- TheDistrict & Sessions Judge.................................to circulate the same amongst the Judicial Officers working under their kind control.
- The District & Sessions Judge (Vigilance), Jabalpur / Indore / Gwalior;
- P.P.S. to Hon'ble the Acting Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for placing the matter before his Lordship;
- P.S. to Registrar General/Principal Registrar (Judl)/ Principal Registrar (I&V)/ Principal Registrar (Examination & I. L.R.) High court of Madhya Pradesh Jabalpur,
- P.A. to Director/ Additional Director, M.P. State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur;
- P.S. to AO/BO/Joint Registrar(Protocol)Deputy Registrar(J-I)/J-II, High Court of M.P. Madhya Pradesh Jabalpur
- S.O.(Checker)/(Confidential)/W.S./Budget/DE /Accounts/Pension /Complaint/Pay Fixation(Gazette)/Leave(Gazette) High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur;
- Computer Operator, Confidential Section High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur;
- Server Room(Computer),for uploading the same in NIC.

for information and appropriate action.

20.12.16
(SANAT KUMAR KASHYAP)
REGISTRAR(DE)

संचालनालय कोष एवं लेखा,
मध्यप्रदेश
-0-

क्रमांक / संकोले / साय0ट्रे0 /2016/ 408 भोपाल दिनांक 19 / 12 / 2016
प्रति,

समस्त कोषालय अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय – न्यायालयों से संबंधित राशियाँ साईबर कोषालय में जमा करने के संबंध में।

विषयांतर्गत यह ध्यान में लाया गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा पक्षकारों से जमा राई जाने वाली राशि को साईबर कोषालय में जमा करने के संबंध में स्पष्टत: नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता कि सी0सी0डी0 एवं माननीय न्यायालयों द्वारा आदेशित अन्य समस्त जमायें साईबर कोषालय के माध्यम से जमा की जा सकती है। इस हेतु निम्नांकित नेवीगेशन का उपयोग किया जाये। www.mptreasury.org – साईबर ट्रेजरी – लॉ डिपार्टमेंट (Court Deposits) ।

2– इस संबंध में आपके जिले से संबंधित जिला न्यायाधीश के समक्ष जाकर प्रकिया से अवगत करायें और अनुरोध करें कि साईबर कोषालय का इस हेतु अधिकाधिक उपयोग किया जाये। न्यायालय द्वारा पुछे जाने पर उन्हे प्रकिया से अवगत भी करायें।

3– किसी बिन्दु पर अस्पष्टता है तो तत्काल इस कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। परन्तु अपने स्तर पर साईबर कोषालय के संबंध में यह स्पष्ट किया जाए कि समस्त विभागों से संबंधित समस्त लेखा शीर्ष साईबर कोषालय में जमा हेतु उपलब्ध है।

4 सभी विभागों / कार्यालय प्रमुखों को इस संबंध में अवगत कराया जाये और लेख किया जाय कि वह विभाग से संबंधित प्राप्तियों को साईबर कोषालय के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

अपर संचालक
कोष एवं लेखा

पृ०क्रमांक / सकोले / साय०८० / / 409 भोपाल दिनांक 19 / 12 / 2016
प्रतिलिपि :

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी विभाग, भोपाल।
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।
4. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर्स मध्यप्रदेश।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश।

अपर संचालक
कोष एवं लेखा

परिशिष्ट "अ"

MAJOR/SUB-MAJOR HEADS		MINOR HEADS	
8443	Civil Deposits	101	Revenue Deposits (1)
		102	Customs and opium Deposits (2)
		103	Security Deposits (3)
		104	Civil Deposits (4)
		105	Criminal Courts Deposits
0070	Other Administrative Service		
	01 Administration of Justice	102	Fines and Forfeiture (2)
		501	Services and Service Fees (1)
		800	Other Receipts (3)
		115	Receipts from Guest Houses, Government Hostels etc. (9)

राशि (चालान जमा) करने की प्रकिया

- न्यायालय राशि जमा करने के आदेश में लेखा शीर्ष जिसमें ऑनलाईन चालान जमा किया जाता है, का उल्लेख करेंगे।
- जमाकर्ता अपने घर/दफ्तर या अन्य कोई स्थान जहाँ कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट उपलब्ध है या ऐंड्राइट फोन जिस पर इन्टरनेट उपलब्ध है पर बेवसाईट www.mptreasury.org सर्च करेगा।
- बेवसाइट खुलने पर mptreasury का स्क्रीन खुलेगा जिसके मध्य में "cyber Treasury" हिन्दी में " सायबर कोषालय " बटन दिखेगा।
- सायबर कोषालय बटन पर क्लिक करने पर सायबर कोषालय पेज खुलेगा।
- पेज पर विभागों के नाम दिये गये हैं, इस पर Other Departments या "अन्य विभाग " बटन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने पर प्रथम लाइन में विभाग सच करने हेतु बजट दबाये और Law and Legislative " विधि विधायी विभाग " को चयन करें।
- अपने नाम/पता आदि भरें।
- लेखाशीर्ष में न्यायालय द्वारा दिये गये शीर्ष का चयन करें।
- विवरण भरने के पश्चात " भुगतान करें " बटन क्लिक करें।
- अब जमाकर्ता बैंक जिसमें जमाकर्ता का खाता है तथा इन्टरनेट बैंकिंग सुविधा साईट खुल जायेगी और लॉगिन पासवर्ड पूछा जायेगा।
- लॉगिन पासवर्ड डाले राशि भरे। पुनः सत्यापित करें एवं भुगतान करें।
- भुगतान करने के 5 सेकेन्ड तक बेक की रसीद प्रदशित होगी जिसे प्रिंट कर सकते हैं, तत्पश्चात सायबर कोषालय पर रसीद/चालान होने पर "चालान सर्च" में जाकर रसीद पुनः प्रिंट की जा सकती है।
- कुछ प्रकरणों मे नेटवर्क फेल होने पर यह संभव है कि रसीद तत्काल न मिल पाये ऐसी स्थिति में अगले कार्य दिवस को चालान से जाकर प्रिंट ले सकते है।
- न्यायालय अधिकारी mptreasury.org पर जाकर CIN no/Chalan no से चालान जमा का विवरण सत्यापित भी कर सकते है।

डिपॉजिटर

Internet/Cyber-Cafe

↓

www-mptreasury.org

↓

Cyber Treasury

↓

Other Departmentts

↓

Law of legislative Departmentts

↓

Other Detail with HOA

↓

Select Bank

↓

Save and Pay

↓

Bank Website Page

↓

Enter Amount and Confirm

↓

Print Bank receipt

↓

Print Challan

↓

Court

↓

www-mptreasury.org

↓

Challan Search

↓

Enter CIN no/Challan no

↓

Verify Detail

↓

C/BK